

प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 04 फरवरी, 2019

विषय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 59वीं तथा 77 वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक क्रमशः दिनांक 12.10.2012 तथा दिनांक 23.10.2013 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मल्टी सेक्टरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड-स्योहारा में राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किशत अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(21)/2012-पी0पी0, दिनांक 03.12.2012 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-1973/52-1-2013-21(एम0एस0डी0पी0)/2013, दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा रू0 615.00 लाख प्रथम किशत के रूप में कार्यदायी संस्था- कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ के पक्ष में अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/22/2017-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 18.06.2018 से उक्त योजना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 1230.00 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किशत के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 615.00 लाख (रूपये छः करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 4000.00 लाख में से अवमुक्त कर आपके निर्वर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(केन्द्रांश-100 प्रतिशत)

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त द्वितीय किशत		वर्तमान में अवमुक्त कुल धनराशि
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिजनौर	वि0ख0-स्योहारा में राजकीय पालिटेक्निक का भवन निर्माण	01	1230.00	1230.00	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00
		योग=	01					615.00	0.00	615.00

3- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018,दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(18) में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018,दि0 24.04.2018 द्वारा संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की गयी है :-

“केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति, योजना में केन्द्रांश की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी।”

परन्तु यदि प्रशासकीय विभाग केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि एक साथ जारी किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य पाते हैं, तो प्राप्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी कर सकते हैं।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्नगत धनराशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) समेकित रूप से जारी की जा रही है।

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

1- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि में से सिविल वर्क की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को हस्तान्तरित की जायेगी तथा उपकरण/मशीनरी आदि की धनराशि निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 12 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16 सी0एण्डडी0एस0 बिजनौर तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के मध्य किये गये त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) की शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

- 3- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य मर्दों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा।
- 4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- 5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 7- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक पर एक बोर्ड का निर्माण किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, योजना की लागत, बजट का स्रोत, कान्ट्रेक्टर का नाम व भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि का अंकन होगा। कार्य के पूर्णोपरान्त उस पर स्थायी रूप से विवरण अंकित किया जायेगा।
- 8- कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्निक के निर्माण की विशिष्टियाँ, मानक, भवन एवं उपकरण आदि की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित है।
- 9- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा।
- 10- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।
- 11- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- 12- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- 13- अवमुक्त धनराशि का दुरुपयोग होने की स्थिति में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 14- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदुपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 15- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ताकी पुष्टि जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।
- 16- निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाया।
- 17- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथाआवश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य से सम्बन्धित सम्परीक्षित लेखे निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 18- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।
- 19- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
- 20- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

21- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक दिनांक 30.03.2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.04.2018, 03.08.2017 एवं दिनांक 26.08.2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय पालिटेक्रिक का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-33/दस-2018, दिनांक 17.01.2019 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(हरी राम)

उप सचिव।

संख्या-58(1)/बावन-1-2018-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
- 5- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्रिक के निर्माण में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
- 8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर ।
- 9- निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय पालिटेक्रिक के निर्माण कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का कष्ट करें ।
- 10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर ।

- 12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
- 13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>